असाधारण
EXTRAORDINARY
Daman 24th August, 2015, 2 Bhadra 1937 (Saka) सं. No. : 35

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
पंचायती राज संस्थान विभाग
सचिव पंचायत, दमण एवं दीव का कार्यालय
मोटी दमण

सं. 5/58/पंचा.राज.संस्थान/आर.नियमा./2014-15/14 दिनांक : 30/04/2015

अ धि सू च ना

जबकि दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की की धारा-121 (वर्ष 2012 की सं.4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दमण एवं दीव पंचायत (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण एवं क्रमावर्ती) नियमावली, 2015" से संबंधित दमण एवं दीव की मसौदा अधिसूचना सं.5/58/पंचा.राज.संस्थान/आर. नियमा./2014-15/117, दिनांक 11/03/2015 उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 13/03/2015 के साधारण सरकारी राजपत्र सं. 07 में प्रकाशित कराया गया था।

और जबकि, उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था।

अत: अब, दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा-121 की उप-धारा (1) (वर्ष 2012 की संख्या-4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं;

EXTRAORDINARY No. : 35
DATED : 24TH AUGUST, 2015.

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-(1) इन नियमों को दमण एवं दीव पंचायत (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण एवं क्रमावर्ती) नियमावली, 2015 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "विनियम" का आशय दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 से है ;

विनियम की धारा से है ;

(ख) "धारा" का आशय विनियम की धारा से है; और

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियॉ का अर्थ क्रमश: वही होगा, जो उन्हें उक्त विनियम में नियम है ।

अध्याय - 2

ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण

3. ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण :- किसी ग्राम पंचायत में हरेक निर्वाचन से पहले निर्वाचन आयोग, धारा-12 की उप-धारा-(5) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करेगा और उनका क्रमावर्ती निर्धारित करेगा ।

4. आरक्षण हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण :- हरेक ग्राम पंचायत में नवीनतम जनगणना आकड़ों के आधार पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्रवार निकाली जाएगी और उक्त निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रकाशित आरक्षण देने के प्रयोजन से निर्धारित किया जाएगा ।

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण :- (1) हरेक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के लिए उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किये जायेंगे, जैसा कि धारा-12 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट है ।

(2) अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जायेगा ।

6. कम जनसंख्या हेतु कोई आरक्षण नहीं : - जहॉ किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या एक सीट को भरने के लिए अपेक्षित पंचायत क्षेत्र की आनुपातिक जनसंख्या के आधे से कम है तो ऐसी जातियों या जनजातियों के लिए कोई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं किया जायेगा, जैसा कि उक्त विनियम धारा-12 की उप-धारा **(5)** में विनिर्दिष्ट है ।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु आरक्षण :- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से, **उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में से कम से कम एकार्ध सीट अनुसूचित जातियों**

EXTRAORDINARY No. : 35
DATED : 24TH AUGUST, 2015.

और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं - जैसा मामला हो, हेतु आरक्षित होगा और ऐसी सीटें निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमावर्ती अनुसार आबंटित किया जाएगा, जैसा कि उक्त विनियम की धारा-12 की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट है ।

8. सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षण :- (1) हरेक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का कम से कम एकार्ध (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों सहित) सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ऐसी सीटें निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमावर्ती अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आबंटित किया जाएगा, जैसा कि उक्त विनियम धारा-12 की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट है ।

9. आरक्षित सीटों का क्रमावर्ती :- (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को प्रथम निर्वाचन की तिथि से हरेक पॉच वर्षों के बाद क्रमावर्ती किया जाएगा ।

(2) अगले निर्वाचन के समय, ऐसे निर्वाचन -जहॉ सीटें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों, ऐसी जातियों या जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जहॉ तक व्यवहार्य हो, ग्राम पंचायत के विभिन्न हिस्सों में वितरित किये जायेंगे और उन्हें आयोग द्वारा लॉट्स के ड्रॉ द्वारा क्रमावर्ती किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जाय कि दूसरी बार किसी वार्ड के संबंध में ऐसा आरक्षण करने से पहले सीटें ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में इस प्रकार आरक्षित हैं, जैसा मामला हो।

बशर्ते कि किसी खास वर्ग के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण को दोहराया नहीं जायेगा,जब तक कि अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमावर्ती द्वारा पूरा न कर दिया गया हो ।

10. ग्राम पंचायतों में सरपंच हेतु सीटों का आरक्षण :- **(1)** किसी ग्राम पंचायत में हरेक निर्वाचन के पहले प्रशासक उक्त विनियम की धारा-12 की उप-धारा-9 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए संघ प्रदेश दमण एवं दीव के संबंधित जिला पंचायत क्षेत्रों में सरपंच हेतु पदों की संख्या निर्धारित करेंगे ।

(2) उप नियम-**(1)** के प्रयोजनार्थ उक्त विनियम की धारा-12 की उप-धारा **(9)** के अधीन अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जायेगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वर्ग की महिलाओं तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का आयोग द्वारा लॉट्स के ड्रॉ द्वारा प्रथम निर्वाचन की तिथि से हरेक पॉच वर्षों के बाद क्रमावर्ती किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जाय कि दूसरी बार किसी वार्ड के संबंध में ऐसा आरक्षण करने से पहले सीटें ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में इस प्रकार आरक्षित हैं, जैसा मामला हो ।

EXTRAORDINARY No. : 35
DATED : 24TH AUGUST, 2015.

अध्याय - 3

जिला पंचायतों में सीटों का आरक्षण

11. जिला पंचायतों में सीटों का आरक्षण :- ग्राम पंचायत में सीटों के आरक्षण हेतु इन नियमों के प्रावधान, जहॉ तक संभव हो, जिला पंचायत के वार्डों के लिए उन प्रावधानों में यहॉ कहीं भी ये शब्द "ग्राम पंचायत " लागू होंगे, जैसा कि वे ग्राम पंचायत के लिए लागू हैं, वहॉ "जिला पंचायत" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

12. **(1)** अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए **आरक्षण रोस्टर** के अनुसार आरक्षित होगा तथा अध्यक्ष का पद हरेक द्वितीय में महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा, जैसा कि उक्त विनियम की धारा-61 की उप-धारा-**5** के परंतुक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है ।

(2) जिला पंचायत के चुनाव के पहले, प्रशासक यह अधिसूचित करेंगे कि रिक्ति भरने के लिए संघ प्रदेश दमण एवं दीव के अनुमोदित **आरक्षण रोस्टर के अनुसार** अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए या अन्यथा आरक्षित होगा ।

13. आरक्षण की अधिसूचना : **(1)** इस अध्याय के अंतर्गत किये गए आरक्षणों को प्रशासक और निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा और सरकारी राजपत्र में प्रकाशन करवा कर तथा उनके कार्यालयों, सचिव पंचायत, जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के सूचना पट्टों पर ऐसे आरक्षण संबंधी आदेश की प्रतियों को चिपकाकर व्यापक प्रचार किया जायेगा ।

EXTRAORDINARY No. : 35
DATED : 24TH AUGUST, 2015.

(2) निर्वाचन आयोग प्रशासक को आरक्षण के निर्धारण संबंध आदेश की प्रति भेजेंगे और

(3) प्रकाशित अधिसूचनाएँ निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों के आरक्षण की निर्णायक साक्ष्य होंगी ।

प्रशासक, दमण एवं दीव
के आदेश एवं नामानुसार

हस्ता/-
(जे. पी. अग्रवाल)
विशेष सचिव (पंचा.राज.संस्थान)

EXTRAORDINARY No. : 35
DATED : 24TH AUGUST, 2015.

U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU
DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTION, SECRETARIAT, MOTI DAMAN – 396 220.

No. 5/58/PRI/REV-RULES/2014-15/164	Dated: 22 / 08 /2015

CORRIGENDUM

In partial modification of Notification No. 5/58/PRI/REV-RELES/2014-15/14 dated 30/04/2015 regarding "Daman and Diu Panchayat (Reservation and Rotation of Seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women) Rules, 2015 published in extraordinary Official Gazette. No. 12 dated 30/04/2015, para 2 of the said Notification shall be read as:

" And whereas the objection/suggestion received in respect of the said draft Rules, have been duly considered by the Administrator of the Union Territory of Daman and Diu."

The other contents of the Notification referred above shall remain the same.

By order and in the name of the
Administrator of Daman & Diu.

(H. K. Premi)
Deputy Secretary (PRI),

EXTRAORDINARY No. : 35
DATED : 24TH AUGUST, 2015.

संघ प्रदेश प्रशासन दमण एवं दीव
पंचायती राज संस्थान विभाग
सचिवालय, मोटी दमण - 396 220

सं.5/58/पं.रा.सं./आर.-नियमावली/2014-15/164	दिनांक: 22/08/2015

शु द्धि प त्र

"दमण एवं दीव पंचायत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला सीटों के आरक्षण एवं परिक्रमण) नियमावली, 2015" के संदर्भ में असाधारण सरकारी राजपत्र सं.12 दिनांक 30/04/2015 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सं.5/58/पं.रा.सं./आर.-नियमावली/2014-15/14, दिनांक 30/04/2015 के पैरा 2 में आंशिक संशोधन करते हुए इस अधिसूचना को इस प्रकार पढ़ा जाए:

"और जबकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों को, संघ प्रदेश दमण एवं दीव के प्रशासक द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया है।"

उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना के अन्य विषय यथावत रहेंगे ।

प्रशासक, दमण एवं दीव
के आदेश एवं नामानुसार

(एच. के. प्रेमी)
उप-सचिव (पं.रा.सं.)

Government Printing Press, Daman.- 08/2015 – 250.
[Price Rs. 5.00]